

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

(संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

पंजीयन क्रमांक-FP/CG/OFC/154845/2022

1.	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कबीरधाम
(iii)	वनप्रभाग	कवर्धा
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.536 हेक्टेयर
(v)	वन वैधानिक स्थिति	आरक्षित, संरक्षित
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर. एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यक नहीं है।
(viii)	भू-क्षरण के लिए वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	आवश्यक नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	वनक्षेत्र से गुजर रही है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कॉरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाये)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटान्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्वीय/पारंपरिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो तो दें।	नहीं
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, तो दें।	हाँ, न्यूनतम है।
3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन	नहीं, कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

4	प्रति पूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	आवश्यक नहीं है।
	(i) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यक नहीं है।
	(ii) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र।	आवश्यक नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रति पूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	आवश्यक नहीं है।
	(iv) प्रति पूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	आवश्यक नहीं है।
	(v) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यक नहीं है।
5	जिला वनसंरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)	आवश्यक नहीं है।
6	विभाग/जिला प्रोफाईल	—
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	— ४५५७.०५ वर्ग कि.मी.
	(ii) जिले का वनक्षेत्र	— १५८८.३० वर्ग कि.मी.
	(iii) मामलों की संख्या सहित १९८० से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	— १९ प्रकरण १२०६.६५१ हे.
	(iv) १९८० से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक (क) दण्ड के रूप में प्रति पूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	— ९०५.७५ हे. १८४.०० हे.
	(v) वर्ष २०१५-२०१६ तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	— ९०५.७५ हे. १८४.०० हे.
7	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप-वनसंरक्षक की विशेष सिफारिश।	अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

स्थान : कवर्धा



टेलीसेनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड
इंदौर (मध्य प्रदेश)

(धूमराणि सिंह)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छोगा)